


<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
---	---	---

सं- गुज/जाम/बॉक्स-36

पंजीकृत पत्र

उल्लंघन पत्र

दिनांक : 02.01.2018

सेवा में : M/s. Dalmia Refractories Limited
(Formerly Shri Natraj Ceramic & Chemicals Ind. Ltd)
Post Box No-10, Jam Khambalia-361305
Dist-Debbhumi Dwarka (Gujarat)

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित आपकी पीलीधर बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-136P(New)/110P, क्षेत्रफल 121.4054 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन **[(Mine Code-07GUJ 07097)]**

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30/10/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p>The mining operations are being carried out in violation of the following provision of the approved Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MS-499)/2009 UDP, dated 08.07.2014 for the period 2014-15 to 2018-19.</p> <p>In Para 5.5, during the year 2016-17 the production of Bauxite was proposed along the section lines X-X' (N660-N730) (W920-W1200) from 13-11mRLs, C-C' (N650-N700), (E30-W70), from 23-18mRLs, from 19-14mRLs, Y-Y' (N650-N780-E110-E200) from 16-14mRLs, Y-Y' (N650-N780-E110-E200) from 13-9mRLs, D-D' (N200-N500, E230-E500) from 12-10mRLs, Z-Z' (N00-N75, E230-E500) from 21-17mRLs But, during the inspection, it was observed that the production not carried out fully as per the proposals at designated locations.</p>
Rule 13	<p><i>In open cast workings, the benches formed shall be so arranged that the benches in ore or mineral and overburden are separate so as to avoid mixing of waste with the ore or minerals.</i></p> <p>But, in your case, it is observed that, in working Pit- Phulkedi towards North-Eastern part of mining lease, benches are not arranged /advanced properly in overburden separately so as to avoid mixing of waste with the ore or minerals.</p>

02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है |

03. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगित किया जा सकता है।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे ।

भवदीय,

(संजय गिरहे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.),
3. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो